न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : **बीनू देवल (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या : 80 / 2020 (2020 / 00221)

अनवान

1. भंवरलाल पिता मांगीया भोई नि.एण्डीया वाली झूपडिया बस्सी जिला चित्तौडगढ
2. रामी पत्नी स्व.मांगीया भोई नि.एण्डीया वाली झूपडिया बस्सी जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. नंदा पिता देवीया भोई नि.एण्डीया वाली झूपडिया बस्सी जिला चित्तौडगढ
2. प्रभू पिता देवीया नि.एण्डीया वाली झूपडिया बस्सी जिला चित्तौडगढ
2. गोरू पिता देवीया नि.एण्डीया वाली झूपडिया बस्सी जिला चित्तौडगढ
3. लालू पिता देवीया देवीया नि.एण्डीया वाली झूपडिया बस्सी जिला चित्तौडगढ
4. रूपा पिता देवीया नि.एण्डीया वाली झूपडिया बस्सी जिला चित्तौडगढ
5. रतन पिता देवीया नि.एण्डीया वाली झूपडिया बस्सी जिला चित्तौडगढ
6. रामकन्या पुत्री नाना भोई नि.एण्डीया वाली झूपडिया बस्सी जिला चित्तौडगढ
7. सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार साहब चित्तौडगढ
8. एस.बी.आई. बैंक शाखा जरिये प्रबन्धक शाखा एस.बी.आई. बस्सी चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 53 आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री सजंय मौड अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक 23.04.2026

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.ए. को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात ग्राम बस्सी पटवार हल्का बस्सी के खाता संख्या 366 मे वर्णित आराजी नम्बर 839, 840, 841 कुल किता 03 कुल रकबा 1.03 हे. स्थित है। विवादग्रस्त आराजीयात मे वादीगण प्रत्येक का 1/6 , 1/6 हिस्सा एंव प्रतिवादीगण का सयुक्त रूप से हक हिस्सा निहित है। इसी

न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मौके पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर खेती करते चले आ रहे है। ग्रस्त आराजीयात का आपसी बटंवाडा नही होने से मौके पर विवाद की स्थिति बनी रहती है। इस हेतू वादी ने पांति बटंवाडा के यह वाद पत्र पेश किया है। दिनांक 02.03.2020 को आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजीयात का बटंवाडा करवाने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना कर देना से वाद पैदा होकर हर रोज जारी है। अन्त मे वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात मौजा बस्सी पटवार हल्का बस्सी के खाता संख्या 366 मे वर्णित आराजी 839, 840, 841 कुल किता 03 कुल रकबा 1.03 हे. का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से वादीगण का निहित हक हिस्से अनुसार बटंवाडा किए जाने का निवेदन किया ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई दिनांक 07.10.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार बस्सी से विभाजन प्रस्ताव तलब किए गए। तहसील बस्सी से पत्रांक/राज/2026/172 दिनांक 10.03.2026 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होकर रेकार्ड पर है। बहस विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुरूप होने से अन्तिम डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता वादी के कथनो पर मनन किया। वादी का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव ग्राम बस्सी पटवार हल्का बस्सी के आराजी नम्बर 839, 840, 841 कुल किता 03 कुल रकबा 1.03 हे. का निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्र. स.	खातेदार का नाम	आराजी न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	कचरी पत्नी देवीया हिस्सा 1/7 भोई सा. देह खातेदार गोरू पुत्र देवीया हिस्सा 1/7 भोई सा. देह खातेदार नन्दा पुत्र देवीया हिस्सा 1/7 भोई सा. देह खातेदार प्रभु पुत्र देवीया हिस्सा 1/7 भोई सा. देह खातेदार रतन पुत्र देवीया हिस्सा 1/7 भोई सा. देह खातेदार	840 841	0.30 0.37	बीड खादी 1 (0.32) बीड (0.05)	0.72 5.18 0.12

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

	रूपा पुत्र देवीया हिस्सा 1/7 भोई सा. देह खातेदार लालू पुत्र देवीया हिस्सा 1/7 भोई सा. देह खातेदार				
	कुल किता	02	0.67	0.67	6.02
2.	भंवरलाल पुत्र मांगीया हिस्सा 1/3 भोई सा.देह खातेदार रहन– बीओबी शाखा बस्सी रामकन्या पुत्री नाना हिस्सा 1/3 भोई सा. देह रहन– स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बस्सी रामी पत्नी मांगीया हिस्सा 1/3 भोई सा.देह खातेदार	839 841 मे से	0.28 0.08	बीड खादी 1	0.67 1.30
	कुल किता	02	0.36		1.97

नोट :– वादी भंवरलाल पिता मांगीया भोई द्वारा पूर्व में आराजी नं 821 रकबा 0.30 हे. भूमि को बेचान कर दिये जाने से वादीगण एंव प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर वादी भंवरलाल पिता मांगीया वगैरा के हिस्से में रकबा कम किया गया ।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। डिक्री मुर्तिब हो। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़

([illegible] देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास श्री **बीनू देवल** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. भंवरलाल पिता मांगीया भोई नि.एण्डीया वाली झूपडिया बस्सी जिला चित्तौडगढ
2. रामी पत्नी स्व.मांगीया भोई नि.एण्डीया वाली झूपडिया बस्सी जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. नंदा पिता देवीया भोई नि.एण्डीया वाली झूपडिया बस्सी जिला चित्तौडगढ
2. प्रभू पिता देवीया नि.एण्डीया वाली झूपडिया बस्सी जिला चित्तौडगढ
2. गोरू पिता देवीया नि.एण्डीया वाली झूपडिया बस्सी जिला चित्तौडगढ
3. लालू पिता देवीया देवीया नि.एण्डीया वाली झूपडिया बस्सी जिला चित्तौडगढ
4. रूपा पिता देवीया नि.एण्डीया वाली झूपडिया बस्सी जिला चित्तौडगढ
5. रतन पिता देवीया नि.एण्डीया वाली झूपडिया बस्सी जिला चित्तौडगढ
6. रामकन्या पुत्री नाना भोई नि.एण्डीया वाली झूपडिया बस्सी जिला चित्तौडगढ
7. सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार साहब चित्तौडगढ
8. एस.बी.आई. बैंक शाखा जरिये प्रबन्धक शाखा एस.बी.आई. बस्सी चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 53 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्या : 80 / 2020

वादी की ओर से वकील श्री संजय मौड की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है की वादी का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव ग्राम बस्सी पटवार हल्का बस्सी के आराजी नम्बर 839, 840, 841 कुल किता 03 कुल रकबा 1.03 हे. का निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

	खातेदार का नाम	आराजी न.	रकबा	किस्म	लगान
	कचरी पत्नी देवीया हिस्सा 1/7 भोई सा. देह खातेदार गोरू पुत्र देवीया हिस्सा 1/7 भोई सा. देह खातेदार नन्दा पुत्र देवीया हिस्सा 1/7 भोई सा. देह खातेदार प्रभु पुत्र देवीया हिस्सा 1/7 भोई सा. देह खातेदार रतन पुत्र देवीया हिस्सा 1/7 भोई सा. देह खातेदार रूपा पुत्र देवीया हिस्सा 1/7 भोई सा. देह खातेदार लालू पुत्र देवीया हिस्सा 1/7 भोई सा. देह खातेदार	840 841	0.30 0.37	बीड खादी 1 (0.32) बीड (0.05)	0.72 5.18 0.12
	कुल किता	02	0.67	0.67	6.02
2.	भंवरलाल पुत्र मांगीया हिस्सा 1/3 भोई सा.देह खातेदार रहन– बीओबी शाखा बस्सी रामकन्या पुत्री नाना हिस्सा 1/3 भोई सा. देह रहन– स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बस्सी रामी पत्नी मांगीया हिस्सा 1/3 भोई सा.देह खातेदार	839 841 मे से	0.28 0.08	बीड खादी 1	0.67 1.30
	कुल किता	02	0.36		1.97

नोट :– वादी भंवरलाल पिता मांगीया भोई द्वारा पूर्व में आराजी नं 821 रकबा 0.30 हे. भूमि को बेचान कर दिये जाने से वादीगण एंव प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर वादी भंवरलाल पिता मांगीया वगैरा के हिस्से में रकबा कम किया गया ।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा। यह आज दिनांक 23.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

([illegible])
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner